दिनांक 11.07.2018 को पूर्वा० 11:30 बजे विशेष सचिव–सह–अध्यक्ष शिकायत निवारण समिति, श्रम संसाधन विभाग की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में संपन्न शिकायत निवारण समिति की बैठक की कार्यवाही–

उपस्थिति–

1. श्री के० सेंथिल कुमार	– विशेष सचिव	– अध्यक्ष
2. श्रीमती सुधा रानी	– विशेष कार्य पदाधिकारी	– सदस्य
3. श्री सुजीत कुमार राय	– संयुक्त श्रमायुक्त	– सदस्य
4. श्रीमती तृप्ती चौधरी	– उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें	
5. श्री अशोक कुमार	– प्रशाखा पदा0–03, प्रशिक्षण पक्ष	
6. मो० मुस्तफा मंसूरी	– प्रशाखा पदाधिकारी–03 (सरकार पक्ष)	
7. श्री देवेश कुमार	– श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी (सरकार पक्ष)	

कार्यवाही

समिति के समक्ष रक्षित मामलों के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति की जानकारी उपस्थित पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों द्वारा निम्न रूप से दी गयी :–

प्रशिक्षण पक्ष

प्रशिक्षण पक्ष में लंबित मामलों की अनुपालन स्थिति निम्न है–

आवेदक का नाम	विषय/अद्यतन स्थिति
1. श्री रामानंद सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य अनुदेशक, औ0 प्र0 संस्थान, कटिहार	**अंकेक्षण आपत्ति सं0–125/2009–10 के संबंध में–** प्रशिक्षण पक्ष के पत्रांक–1327 दिनांक–13.06.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अंकेक्षण आपत्ति सं0–125/2009–10 में श्री रामानन्द सिंह, मुख्य अनुदेशक (से0नि0) का मकान किराया भत्ता का अवैध भुगतान की राशि को कटौती की जानी है। मकान किराया भत्ता की राशि जो रू0 1,18,981/– है, जिसकी कटौती की जानी है, उक्त राशि को अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान की राशि से कटौती कर शेष का भुगतान किया जा चुका है। प्राचार्य, औ0प्र0 संस्थान, कटिहार के पत्रांक–493 दिनांक–20.09.2017 के द्वारा निदेशकीय समीक्षोपरान्त अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को हस्तगत करा दिया गया है। परन्तु अब तक महालेखाकार के द्वारा अंतिम निर्णय औ0प्र0 संस्थान, कटिहार को प्राप्त नहीं हुआ है। निदेशालय पत्रांक–659 दिनांक 02.04.2018 के द्वारा प्राचार्य, औ० प्र० संस्थान, कटिहार को व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर मामले का निराकरण करने हेतु पत्र दिया गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मामले के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है। उपस्थित प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशिक्षण को निदेश दिया गया कि प्राचार्य, औ0प्र0संस्थान, कटिहार को स्मारित कर मुख्यालय बुलाया जाए एवं मामले का शीघ्र नियमानुसार निष्पादन कराते हुए समिति को प्रतिवेदित किया जाए।

2. श्री राम नरेश सिंह एवं अन्य, कार्यालय परिचारी, प्रशिक्षण पक्ष, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण।	**ग्रीष्म कालीन वर्दी की आपूर्ति की संबंध में–** प्रशिक्षण पक्ष के पत्रांक–1545 दिनांक–05.07.2010 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवंटित राशि शेष नहीं रहने के कारण सिर्फ चप्पल की आपूर्ति की जा सकी है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में अब तक आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। आवंटन प्राप्त होने के पश्चात वर्दी आपूति की कार्रवाई की जाएगा। उपस्थित प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशिक्षण को निदेश दिया गया कि शीघ्र मामले का निष्पादन करा कर समिति को प्रतिवेदित किया जाए।
3. श्री चन्द्रदेव राम, सहायक लेखा पदाधिकारी, निदेशालय,नियोजन एवं प्रशिक्षण प्रशिक्षण पक्ष	**विभिन्न सामग्रियों एवं नाश्ता–पानी के क्रय में हुए व्यय की राशि रू०–12131/– मात्र का भुगतान के संबंध में–** आवेदन से उपरोक्त विषय के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन विभागीय पत्रांक–1510 दिनांक–29.06.2018 द्वारा अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रशिक्षण पक्ष भेजा गया है। उपस्थित प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशिक्षण को निदेश दिया गया कि विषयांकित आवेदन के संबंध में कृत कार्रवाई संबंधी अद्यतन प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध कराया जाए।
4. श्री चन्द्रदेव राम, सहायक लेखा पदाधिकारी, निदेशालय,नियोजन एवं प्रशिक्षण प्रशिक्षण पक्ष	**लेखापाल, लेखा निरीक्षक एवं सहायक लेखा पदाधिकारी का वेतन विसंगति दूर करने के संबंध में–** आवेदन से उपरोक्त विषय के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन विभागीय पत्रांक–1511 दिनांक–29.06.2018 द्वारा अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रशिक्षण पक्ष भेजा गया है। उपस्थित प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशिक्षण को निदेश दिया गया कि विषयांकित आवेदन के संबंध में कृत कार्रवाई संबंधी अद्यतन प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध कराया जाए।

नियोजन पक्ष

1. श्री परम प्रकाश नंद, सहायक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन) 2. श्री उमेश कुमार दास, सहायक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन)	**विपार्ड में प्रवेश कालीन प्रशिक्षण हेतु देय यात्रा भत्ता भुगतान के संबंध में।** नियोजन पक्ष के पत्रांक–603 दिनांक–10.07.2010 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संचिका उच्च स्तर पर उपस्थापित है। समीक्षा के क्रम में समिति द्वारा पाया गया कि नियोजन पक्ष का प्रतिवेदन अपूर्ण एवं अस्पष्ट है। सहायक निदेशक, नियोजन को निदेश किया गया कि आवेदन के आलोक में कृत कार्रवाई संबंधी स्पष्ट प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध कराया जाए।

बैठक सधन्यवाद, समाप्त हुई।

(सुजीत कुमार राय) संयुक्त श्रमायुक्त सदस्य	12.7.18 (श्रीमती सुधा रानी) विशेष कार्य पदाधिकारी सदस्य	12/7/18 (के०सेंथिल कुमार) विशेष सचिव अध्यक्ष

proceeding of GRC new doc.493

ज्ञापांकः–3/श्रम विधि (शि0नि0)–01/2018 श्र0 सं0 1628 पटना, दिनांक 12/7/2018

प्रतिलिपिः– निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण (दो प्रतियों में)/श्रमायुक्त, बिहार/निदेशक चिकित्सा सेवायें, कर्म0रा0बीमा योजना/श्रीमती सुधा रानी, विशेष कार्य पदाधिकारी/संयुक्त श्रमायुक्त–01/संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण/सहायक निदेशक, नियोजन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/7/18

विशेष सचिव सह अध्यक्ष

ज्ञापांकः–3/श्रम विधि (शि0नि0)–01/2018 श्र0 सं0 1628 पटना, दिनांक 12/7/2018

प्रतिलिपिः– उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना/प्रशाखा पदाधिकारी–03, प्रशिक्षण पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/7/18

विशेष सचिव सह अध्यक्ष

ज्ञापांकः–3/श्रम विधि (शि0नि0)–01/2018 श्र0 सं0 1628 पटना, दिनांक 12/7/2018

प्रतिलिपिः– सचिव विधि विभाग/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

12/7/18

विशेष सचिव सह अध्यक्ष

proceeding of GRC new doc.494